राजस्थान–सरकार
गृह (ग्रुप–10)विभाग

क्रमांकः प.11(54)गृह–10/2018 जयपुर, दिनांक 24/10/2018

परिपत्र

यतः यह ध्यान में लाया गया है कि सहायक निदेशक अभियोजन का पद अपर लोक अभियोजक/विशिष्ठ लोक अभियोजक के समकक्ष है। उपनिदेशक अभियोजन का पद लोक अभियोजक के समकक्ष है। इस वजह से सहायक निदेशक अभियोजन, अपर लोक अभियोजक/विशिष्ठ लोक अभियोजक एवं उपनिदेशक अभियोजन, लोक अभियोजक के पद पर पदस्थापित किये जाते है। अपर लोक अभियोजक/विशिष्ठ लोक अभियोजक/लोक अभियोजक का पद विधि विभाग के नियंत्रण में है।

अभियोजन सेवा के अधिकारी सहायक निदेशक अभियोजन/उपनिदेशक अभियोजन जब विधि विभाग के नियंत्रण में कार्य करते हैं तो उस अवस्था में उनके आकस्मिक अवकाश के स्वीकृत करने में व्यवहारिक कठिनाई का अनुभव किया जा रहा है क्योंकि अपर लोक अभियोजक/विशिष्ठ लोक अभियोजक/लोक अभियोजक के पदों पर अधिवक्ताओं में से भी नियुक्ति की जाती है। अधिवक्ताओं में से नियुक्त अपर लोक अभियोजक/विशिष्ठ लोक अभियोजक/लोक अभियोजक, अभियोजन सेवा के सदस्यों के अवकाश पर जाने पर नोटेड नहीं करते हैं।

राज्य सरकार ने एक अधिसूचना दिनांक 10 मई 2007 को दण्ड प्रकिया संहिता 1973 की धारा 25ए (7) में जारी की थी जिसमें यह प्रावधान है कि लोक अभियोजक, अतिरिक्त लोक अभियोजक/विशिष्ठ लोक अभियोजक उपनिदेशक अभियोजन के प्रशासनिक नियंत्रण में है।

अतः यह आदेशित किया जाता है कि अभियोजन सेवा के अधिकारी जहां अपर लोक अभियोजक/विशिष्ठ लोक अभियोजक/लोक अभियोजक के पद पर पदस्थापित हैं वे अपना आकस्मिक अवकाश का प्रार्थना पत्र संबंधित उपनिदेशक अभियोजन को व्यक्तिशः/फैक्स/वाट्सएप के द्वारा पेश करेंगे एवं उपनिदेशक अभियोजन अवकाश को नियमानुसार स्वीकृत किये जाने के उपरांत संबंधित न्यायालय में पैरवी की व्यकल्पिक व्यवस्था अभियोजन सेवा के अधिकारियों में से करेंगें।

(रमेश चन्द्र शर्मा)
विशिष्ठ शासन सचिव, गृह

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, शासन सचिव विधि।
2. सम्भागीय आयुक्त.....राजस्थान।
3. जिला मजिस्ट्रेट..... राजस्थान।
4. पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपायुक्त .....राजस्थान।
5. उप निदेशक अभियोजन।
6. सहायक निदेशक अभियोजन।
7. अपर लोक अभियोजक/विशिष्ठ लोक अभियोजक/लोक अभियोजक, अभियोजन सेवा के अधिकारी।
8. निजि/रक्षित पत्रावली।

अनुभागाधिकारी 24/10/18